**सं.एन.-1-46/2019-प्रशा.I**

**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**(वीबीडी प्रभाग)**

**विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) हेतु एंटोमॉलोजिस्ट (सैंट्रल क्रास चेकिंग आर्गेनाइजेशन) पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) हेतु एंटोमॉलोजिस्ट (सैंट्रल क्रास चेकिंग आर्गेनाइजेशन) पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 508-डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते shorn.singh27@gov.in and sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

**नई दिल्ली**
**दिनांक:**

1/12/21

(शोरन सिंह)
**अवर सचिव, भारत सरकार**
**टेलीफोन नं: 23061436**

[भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख..........,2021

सा. का. नि............ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचरणीय रोग संस्थान, राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, (श्रेणी-I और श्रेणी-II गैर- चिकित्सीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1976, जहां तक ये एन्टोमोलॉजिस्ट (सैंट्रल क्रास चेकिंग आर्गेनाइजेशन) के पद से संबद्ध है, के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है, एतदद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र , दिल्ली के में एंटोमॉलोजिस्टिक (सैंट्रल क्रास चेकिंग आर्गेनाइजेशन) के पद के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, निदेशालय दिल्ली के में एंटोमॉलोजिस्ट (सैंट्रल क्रास चेकिंग आर्गेनाइजेशन) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शाक्ति- जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी श्रेणी या प्रश्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में लेवल | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| एंटोमॉलोजिस्ट (सैंट्रल क्रास चेकिंग आर्गेनाइजेशन) | *1 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय | वेतम मैट्रिक्स में लेवल 10 (56,100-1,77,500रू.) | लागू नहीं | अधिकतम 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट)।<br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | अनिवार्य:-<br>(i). मान्यताप्राप्त विश्विवद्यालय या संस्थान से एंटोमोलोजी के एक पेपर सहित जूलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पब्लिक हैल्थ एंटोमोलोजी में स्नातकोत्तर डिग्री<br>(ii). केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों की किसी स्कीम के तहत मेडिकल एंटोमोलिजी अथवा पब्लिक हेल्थ एंटोमोलोजी अथवा वैक्टर जनित रोगों के क्षेत्र में शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान और/ अथवा नियंत्रण में 3 वर्षों का अनुभव।<br>वांछनीय :-<br>केंद्र सरकार/ राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत एंडवास्ड मेडिकल एंटोमोलोजी/ वैक्टर बायोलॉजी और नियंत्रण/ पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी अथवा वैक्टर जनित रोगों में प्रशिक्षण<br>टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।<br>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा।<br>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद पर न होने कारण सृजित रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है, जो,-<br>(क) (i) नियमित आधार पर सुदृश पद धारण करते हों' अथवा<br>(ii) वेतन मेट्रिक्स के लेवल-8 के पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हों;<br>और<br>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। | लागू नहीं | समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समीति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे: -<br>(1) संयुक्त सचिव (संबंधित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष<br>(2)उप महानिदेशक (संबंधित)/ निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य<br>(3) निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

[फा. सं.1-44/2019-एडमिन.1]

(शोरेन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार